दिनांक 04.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल, उपचार के दौरान मृत**
- **लूट के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 रिवाल्वर .38 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 पिस्टल 9 एमएम मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.10.2025 को थाना बुढाना, थाना शाहपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुरालसी पुलिया पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक उपनिरीक्षक, 01 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त महताब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने–चॉदी के आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 रिवाल्वर .38 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 पिस्टल 9 एमएम मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल अभियुक्त महताब को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त महताब हिस्ट्रीशीटर अपराधी था, जो थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, अपहरण, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–महताब पुत्र अब्बास निवासी ग्राम सौंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 रिवाल्वर .38 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 पिस्टल 9 एमएम मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद अमेठी/थाना रामगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.10.2025 को थाना रामगंज व स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरघाट पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मनीष उर्फ मिन्टू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर, चन्दौली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष उर्फ मिन्टू निवासी कैथा उर्फ टडिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना कोहना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 04.10.2025 को थाना कोहना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–विकास उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोहना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोहना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोहना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास उर्फ कल्लू निवासी खलासी लाइन थाना ग्वाल टोली, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना उमरीबेगमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4(2) पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 आफताब को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लोकेश पिप्पल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————